2022/269

श्रीमान जी,

निवेदन है कि श्रीमान् जिला कलक्टर एवं जिला पंजीयक, श्रीगंगानगर के आदेश क्रमांकः–पंजी/11/2338 दिनांक 23.11.2011 द्वारा श्रीमान् जी को बन्द वसीयत प्रार्थना पत्र एवं बन्द वसीयत खुलवाने बाबत् अधिकृत किया हुआ है। जिसकी पालना में उक्त बन्द वसीयत को खोलने की कार्यवाही की जा रही है।

प्रार्थी जगवन्त सिंह पुत्र श्री लखा सिंह जाति जटसिख निवासी–पिण्ड मुलियावाली तहसील फाजिल्का (पंजाब) ने प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, वारिसान प्रमाण पत्र, आई डी प्रूफ एवं मूल रसीद गुम होने बाबत एफआईआर पेश कर निवेदन किया है कि मेरे पिता लखा सिंह पुत्र श्री कौर सिंह जाति जटसिख निवासी चक 8 टी के तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर ने दिनांक 28.07.2022 को वसीसत कस्टडी में रखवाई थी। जिनका देहांत दिनांक 31.08.2022 को हो गया था। उनके द्वारा दिनांक 28.07.2022 को रखवाई गयी बंद वसीयत खोला जाकर निष्पादन की कार्यवाही हेतु निवेदन किया है।

प्रार्थी को गवाहान गुरकरण सिंह पुत्र जसविन्द्र सिंह एवं जसपाल सिंह पुत्र श्री वजीर सिंह ने पहचाना है। प्रार्थी एवं गवाहों की शिनाख्त अधिवक्ता श्री बलकरण सिंह बराड़ एवं श्री रिछपाल सिंह ने की है। अतः निर्धारित शुल्क जमा कर सील्ड पैकेट बंद लिफाफा खोले जाने हेतु प्रस्तुत है।

अवलोकनार्थ एवं आदेशार्थ प्रस्तुत है।

जिला पंजीयक महोदय